भाग—III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जून, 2015

संख्या का0आ0 133/ह0अ025/2008/धा092/2015.—हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25), की धारा 92, के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब पुलिस नियम, 1934 को, हरियाणा राज्यार्थ, आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2015 कहे जा सकते हैं ।

2. पंजाब पुलिस नियम, 1934 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 12.15 में,—

(i) उप—नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(2) सिपाही के रूप में भर्ती के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम विहित शारीरिक मानक जो निम्नानुसार होगा:—

उम्मीदवार	लम्बाई	सीना / छाती
पुरुष	172 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग	83 सेंटीमीटर (बिना फुलाए) से 87 सेंटीमीटर (फुलाकर)
	169 सेंटीमीटर पात्र आरक्षित प्रवर्गों के लिए सरकार की नवीनतम विद्यमान आरक्षण नीति अनुसार	81 सेंटीमीटर (बिना फुलाए) से 85 सेंटीमीटर (फुलाकर)
महिला	160 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग	शून्य
	157 सेंटीमीटर पात्र आरक्षित प्रवर्गों के लिए सरकार की नवीनतम विद्यमान आरक्षण नीति अनुसार	

पुलिस महानिदेशक द्वारा अभिलिखित कारणों के बाद, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक मानको में उचित छूट प्रदान कर सकता है "।

(ii) उप नियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप—नियम जोडा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा यदि, वह वर्णान्ध है, स्पाट पैरों वाला है अथवा घुमावदार घुटनों वाला है" ।

3. उक्त नियमों में, नियम 12.16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"12.16 सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया ;—

(1) रिक्तियों की प्रतिशतता:—

सिपाही के रैंक में सभी रिक्तियां तथा उप निरीक्षक के रैंक में कुल पदों की पचास प्रतिशत (स्थाई तथा अस्थाई दोनों) सीधी भर्ती द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरी जाएंगी.

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में से 3 प्रतिशत रिक्तियां उत्कृष्ट खिलाडियों से भरी जाएंगी ।

(क) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक या अधिक तकनीकी विशेषज्ञ जैसे कि सेवारत या सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जो उप पुलिस अधीक्षक, की पदवी से नीचे के न हों, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सकों, विषय विशेषज्ञों इत्यादि को समय—समय पर अपनी सहायता के लिए सहयोजित कर सकता है। ये विशेषज्ञ अपने सम्बद्ध क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होने चाहिएं ।

(ख) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चयन सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के प्रबन्धन के लिए कम्पयूटर आधारित प्रबन्धन सूचना प्रणाली जारी रखने के लिए ,उत्तरदायी होगा जिसमें अन्य बातों के साथ ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने, प्रक्रिया करने, पूरी चयन प्रक्रिया में प्रत्येक उम्मीदवार की उन्नति का रिकार्ड रखना तथा परिणाम तैयार करना इत्यादि शामिल है ।

(2) मांग:–

जब कभी सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की पर्याप्त संख्या है, राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेजेगा ।

(3) सार्वजनिक अधिसूचना :–

पुलिस महानिदेशक से मांग पत्र की प्राप्ति पर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग राज्य के कम–से–कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी तथा दूसरा अंग्रेजी में होगा, आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन पहले रिक्तियां अधिसूचित करेगा । विज्ञापन में रिक्तियों का विवरण, आवेदन का ढंग तथा पात्रता शर्तें इत्यादि होंगी । अन्य ब्यौरे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वैबसाईट पर डाले जांएगे ।

(4) आवेदन:–

(क) आवेदन विहित फीस के साथ ऑनलाइन प्राप्त किये जाएंगे । उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई सूचना अन्तिम होगी । एक ही उम्मीदवार से प्राप्त किये गए एक से अधिक आवेदनों को चिन्हित किया जाएगा और विहित अवधि के भीतर प्राप्त किया गया अन्तिम आवदेन स्वीकारा जाएगा ।

(ख) पात्र उम्मीदवारों को रोल नम्बर आबंटित किए जाएंगे तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वैबसाईट पर डाल दिए जाएंगे । एक बार रोल नम्बर आबंटित होने पर, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बार–कोडिड प्रवेश पत्र को जनरेट करने के योग्य हो जाएगा।

(5) शारीरिक जाँच परीक्षा (पी० एस० टी०) :–

(क) सभी उम्मीदवारों जिन्होंने शारीरिक मानदण्ड परीक्षा अर्हक कर ली हो को उनकी शारीरिक स्वस्थता तथा सहनशीलता को जाँचने के लिए अधिकतम पन्द्रह अंकों की शारीरिक संवीक्षा परीक्षा देनी होगी । इस परीक्षा के लिए विहित मानक नीचे दिए अनुसार होंगे –

	उम्मीदवार	टेस्ट दूरी	अर्हक समय
1.	पुरूष	5.0 किलोमीटर	25 मिनट
2.	महिला	2.5 किलोमीटर	15 मिनट
3.	भूतपूर्व सैनिक	2.5 किलोमीटर	13 मिनट

टिप्पणी:– आर. एफ. आई. डी. (रेडियो फ्रीक्वैंसी पहचान यन्त्र) या किसी भी अन्य उत्तम तथा विश्वसनीय प्रौद्योगिकी का उपयोग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर इस परीक्षा की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।

(ख) इस परीक्षा से गुजरने के लिए अपेक्षित मेडिकल स्वस्थता परीक्षण की जिम्मेवारी उम्मीदवार की होगी ।

(ग) उम्मीदवार जो शारीरिक जांच परीक्षा के लिए विहित मानकों को पूरा करने में असफल रहते हैं को आगे की चयन प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा ।

(घ) उम्मीदवार जो शारीरिक जांच परीक्षा के लिए विहित मानकों को अर्हक करते हैं आगे की चयन प्रक्रिया में भाग लेंगे। ऐसे उम्मीदवारों को शारीरिक जाँच परीक्षा अर्थात् विहित परीक्षण दूरी को पूरा करने के लिए उन द्वारा लिए गए में उन द्वारा किये गए प्रदर्शन के आधार पर नीचे दिए गये मापदण्ड के अनुसार अंक दिये जायेंगे, जो निम्न प्रकार से हैं:–

शारीरिक जॉच परीक्षा–प्रदर्शन अंक			
पूरा करने का समय –(मिनटों में)			अंक
पुरुष	महिला	भूतपूर्व सैनिक	
25	15	13	10
24	14	12	11
23	13	11	12
22	12	10	13
21	11	09	14
20	10	08	15

(ड.) शारीरिक जॉच परीक्षा का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शीघ्र ही अपनी कार्यालय वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा ।

(6) ज्ञान परीक्षा :

ज्ञान परीक्षा की विस्तृत प्रकिया निम्न प्रकार से है:–

(क) वे सभी उम्मीदवार जो शारीरिक जॉच परीक्षा और शारीरिक मापतोल परीक्षा में उतीर्ण हैं, उन्हें वस्तुनिष्ठ, एकाधिक पसन्द वाले प्रश्नों सहित नकारात्मक मूल्यांकन के उपबन्ध के साथ 60 अंको की ज्ञान परीक्षा देनी होगी ।

(ख) ज्ञान परीक्षा में वस्तुनिष्ठ किस्म के 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 0.60 अंक का होगा और अवधि नब्बे मिनट होगी। यह सभी पात्र उम्मीदवारों हेतु एक साथ आयोजित की जाएगी। परीक्षा का माध्यम जहां उम्मीदवारों का अंग्रेजी भाषा का ज्ञान परीक्षित किया जाना है को छोड़कर हिन्दी में होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.15 अंक की कटौती की जाएगी।

(ग) परीक्षा पत्र जिसमें सामान्य अध्ययन, कृषि, पशुपालन, तर्क, चालू मामले, संख्यात्मक योग्यता, सामान्य विज्ञान, अभिरूचि, सम्बन्धित क्षेत्र/व्यापार इत्यादि पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्तर सिपाही के पद के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10+2 परीक्षा और उपनिरीक्षक के पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास शिक्षित व्यक्ति की अनुमानित योग्यता जैसा होगा।

(घ) प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा तथा अत्यंत गोपनीयता के साथ मुद्रित किया जाएगा। प्रश्न पत्र की समरूप सेट की एक से अधिक भिन्न–भिन्न श्रृंखला होगी और नकल रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में दो निकटवर्ती उम्मीदवारों के पास प्रश्न पेपरों की समरूप श्रृंखला नहीं होगी। ओ. एम. आर. स्केनिंग हेतु उत्तर पुस्तिका डिजाइन की जाएगी। दोहरी उत्तर पुस्तिका हेतु कार्बनहीन पेपर उपयोग किया जाएगा। उम्मीदवार ज्ञान परीक्षा समाप्त होने के बाद दोहरी प्रति वाली एक प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं। विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में सीलबन्द प्रश्न पेपरों तथा ओ.एम.आर. सीट के वितरण प्रकिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्णित की जाएगी। जहां तक सम्भव हो सके ज्ञान परीक्षा प्रकिया की विडियोग्राफी की जाएगी। प्रकिया ऐसी रीति में डिजाइन की जाएगी ताकि मूल्यांकन अमले से उम्मीदवारों की पहचान छिपाई जा सके। उम्मीदवारों के प्रतिरुपण रोकने के लिए ओ.एम.आर. सीट पर उसके अंगूठे का चिह्न अंकित करना अनिवार्य होगा।

(ड.) ज्ञान परीक्षा की समाप्ति पर शीघ्र अति शीघ्र, प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से संग्रहण की गई उत्तर पुस्तिकाओं को सीलबन्द लिफाफे में रखा जाएगा। ये लिफाफे बॉक्सों में रखे जाएंगे तथा दौबारा सीलबन्द किए जाएंगे और मूल्यांकन केन्द्र (केन्द्रों) पर पहुंचाए जाएंगे।

(च) उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद, शीघ्र ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वैबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी।

(छ) मूल्यांकन केन्द्र पर, उत्तर पुस्तिकाओं वाले बॅक्से केवल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नाम निर्देशित कमेटी द्वारा खोले जाएंगे। ओ. एम. आर. उत्तर पुस्तिकाएं स्केन की जाएंगी और परीक्षा परिणाम डाटा बेस में सुरक्षित रखा जाएगा।

(7) दस्तावेजों की जांच पड़ताल :–

(क) रिक्तियों की दुगनी संख्या में उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार की जांच परीक्षा तथा ज्ञान परीक्षा में प्राप्त किये गये संयुक्त अंकों को प्रवर्गवार अभिनिश्चित किया जाएगा। उक्त अंक या अधिक अंकों से पांच अंक कम प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारो को दस्तावेजों की जांच पड़ताल के लिए बुलाया जाएगा । अन्य सभी उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रकिया से निकाल दिया जाएगा ।

(ख) आरक्षण लाभ तथा छूट के लिए तथा/या अतिरिक्त अंकों के लिए दावों, यदि कोई हो, केवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगें जो शारीरिक मापतोल परीक्षा और साक्षात्कार एंव साक्षात्कार से पूर्व उनके दावों के समर्थन में जांच के लिए अपेक्षित वैध मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे; असफल रहने पर, वे सामान्य प्रर्वग में विचारे जाएंगे बशर्ते वे अन्यथा पात्र होंगे । इस संबंध में सूचना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वैबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

(8) शारीरिक मापतोल परीक्षा (पी०एम०टी०):–

(क) उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के बाद पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.16 (9) (ग) के साथ पठित नियम, 12.15 (2) में वर्णित मानकों के अनुसार शारीरिक मापतोल परीक्षा से गुजरना होगा।

(ख) शारीरिक मापतोल परीक्षा की सम्पूर्ण प्रकिया करने में टेम्पर प्रूफ, उचित और निष्पक्ष मानक डिजिटल मापतोल यन्त्रों का उपयोग सम्भव सीमा तक किया जाएगा ताकि उम्मीदवार डिजिटल डिसप्ले मानीटर पर उनके मापतोल को पढ़ने में सक्षम हो। शारीरिक मापतोल परीक्षा का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार किया जायेगा । भर्ती हेतु हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसे अपनी कार्यालय की वेबसाईट पर शीघ्र प्रदर्शित करेगा।

(ग) मानव संसाधन की पहचान तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उम्मीदवार जो न्यूनतम निर्धारित मानकों से ऊपर अतिरिक्त लम्बाई रखता है, तो उसे नीचे दिये गये निर्धारित मानदण्ड के अनुसार लाभ प्राप्तांक कहे जाने वाले अतिरिक्त अंक प्रदान किये जाएंगे ।

पी.एम.टी. ऊँचाई (लाभ प्राप्तांक)		
ऊँचाई सेंटीमीटर में		अंक
पुरुष	महिला	
172 सामान्य प्रवर्ग	160 सामान्य प्रवर्ग	10
169 से 172 सरकार की नवीनतम विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार पात्र आरक्षित प्रवर्गों के लिए	157 से 160 सरकार की नवीनतम विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार पात्र आरक्षित प्रवर्गों के लिए	
175	163	11
178	166	12
181	169	13
184	172	14
187 या अधिक	173 या अधिक	15

(9) साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षा (आई.–पी.टी.) :–

(क) उम्मीदवार जो जांच पड़ताल परीक्षा अर्हक करता है को प्रत्येक प्रवर्ग में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अधिकतम तीन गुणा तक, उनके संयुक्त प्राप्त अंको (शारीरिक जांच पड़ताल परीक्षा+ ज्ञान परीक्षा+शारीरिक मापतोल परीक्षा) के आधार पर साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा ।

(ख) साक्षात्कार परीक्षा कुल दस अंको की होगी । आगे साक्षात्कार परीक्षा के लिए दस अंकों का विभाजन निम्न प्रकार से होगा :–

(i) शिक्षा (अधिकतम 02 अंक) :– उच्च शिक्षा अर्थात् स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवार को एक अंक जबकि स्नातकोत्तर डिग्री वाले उम्मीदवार को 02 अंक प्रदान किए जाएंगे ।

(ii) एन.सी.सी. प्रमाण पत्र (अधिकतम 03 अंक) उम्मीदवार को जो उच्च एन.सी.सी. प्रमाण पत्र ए, बी या सी का धारक है, को क्रमशः 01, 02 तथा 03 अंक प्रदान किए जाएंगे।

(iii) साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण (आई.पी.टी.) परीक्षा (अधिकतम 05 अंक) ।

(10) परीक्षा परिणाम :–

(क) पृथक रूप से प्रत्येक वर्ग के लिए ,हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के बराबर उम्मीदवारों द्वारा (पी.एस.टी.+ के.टी.+ पी.एम.टी.+आई.–पी.टी.) में प्राप्त योग अंकों के आधार पर मैरिट के कम में सफल उम्मीदवारों के नाम क्रमबद्ध किये जाएंगे ।

(ख) परन्तु, जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के योग अंक समान हैं, तो योग्यता का क्रम ज्ञान परीक्षा में प्राप्त किए गए उच्चतर अंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ग) जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के ज्ञान परीक्षा योग अंक के साथ–साथ अंक भी समान हैं, तो योग्यता का क्रम आयु द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा अर्थात् आयु में छोटे से आयु में बड़े को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।

(घ) जहां दो या अधिक उम्मीदवारों के ज्ञान परीक्षा में योग अंक के साथ–साथ अंक भी समान हैं तथा जन्म तिथि भी समान हैं, तो योग्यताकम उनकी उच्चतर शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार के पक्ष में होगा ।

(ङ) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नामांकन के लिए पुलिस महानिदेशक को पृथक रूप से प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित मांग पत्र की रिक्तियों की कुल संख्या के समान सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगा। इस प्रकार सिफारिश की गई उम्मीदवारों की सूची हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा पुलिस की कार्यालय वैबसाइटों पर भी डाली जाएगी। कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी ।

(च) नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति से पूर्व चिकित्सा स्वस्थता और चरित्र सत्यापन और पूर्ववृत्त सुनिश्चित करेगा। विज्ञापित रिक्तियां, यदि कोई हों, चिकित्सा आधारों या चरित्र या पूर्ववृत सत्यापन या अन्यथा के कारण यदि उम्मीदवारों की अस्वीकृति के कारण भरी जानी शेष रह जाती हैं, तो अगली भर्ती में भरी जाएंगी।

(11) विशेष भर्ती :–

भर्ती की उपरोक्त प्रक्रिया हरियाणा सरकार की अनुग्रहपूर्वक स्कीम, यदि कोई हैं, के अधीन सिपाहियों के रूप में मृतक पुलिस कर्मियों के बच्चों की नियुक्ति हेतु लागू नहीं होगी। हरियाणा पुलिस की विशेषीकृत विंग अर्थात् दूर–संचार विंग, हरियाणा पुलिस कमान्डों बल, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बैंड तथा विगुलवादक अमला, घुड़सवार पुलिस, कुत्ता दस्ता, साईबर सैल तथा विशेष योग्यता या अनुभव सहित ,तथा अन्य विशेषीकृत विंगों में जो भविष्य में सरकार द्वारा स्वीकृत हैं या सृजित/स्वीकृत किये जाएं, सिपाहियों की भर्ती पर भी लागू नहीं होगी। इन विशेषीकृत विंगों हेतु प्रकिया ऐसी होगी जो पुलिस महानिदेशक की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

4. उक्त नियमों में, नियम 12.18 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"12.18 चरित्र तथा पूर्ववृत का सत्यापनः–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश किये गये उम्मीदवारों के सत्यापन प्रारूपों को विषय पर समय–समय पर प्रारूप संख्या 12.18 तथा सरकारी आदेशों के अनुसार चरित्र तथा पूर्ववृत के सत्यापन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्रति भेजते हुए जिला पुलिस और अपराध अन्वेषण विभाग को भेजेगा ।

(2) उम्मीदवारों के खिलाफ किसी भी कानून के अधीन अपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है या अपराधिक शिकायत है तो मामले के अन्तिम परिणाम का ध्यान किए बिना, आवेदन कार्य और सत्यापन एवं पूर्ववृत कार्य में, उसके विरूद्ध अपराधिक मामले के पंजीकरण के संबंध में तथ्य प्रकट करेगा। ऐसी सूचना के प्रकट न करने पर, केवल इस आधार पर उम्मीदवारी को पूर्ण रूप से अयोग्य समझा जाएगा :

परन्तु जहां कोई उम्मीदवार जो किशोर है, पूर्वत्तर विधि विरूद्ध और किशोर न्याय (बालक की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम 2000, के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की गई थी या तो आवेदन फार्म या चरित्र एवं पूर्ववृत प्ररूप में इस तथ्य को प्रकट करने के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

(3) जहां नियुक्ति हेतु सिफारिश किये गये उम्मीदवारों के चरित्र पूर्ववृत सत्यापन पर नियुक्ति प्राधिकारी के ध्यान में आता कि उम्मीदवार के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाहियां प्रगति पर हैं तथा मामले की स्थिति की रिपोर्ट की गई है कि या तो अन्वेषणाधीन है या चुनौती दी गई है या रद्द की गई है या अनुमार्गणित है या वापस ली गई है या विचाराधीन है या तो दोष सिद्ध हो गया है या विमुक्त हो गया है या उम्मीदवार ने न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध अपील दायर की गई है, सत्यापन पर नियुक्ति प्राधिकारी जिन उम्मीदवारों के विरूद्ध अपराधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं तथा उनसे सम्बन्धित मामले नीचे दिये गये अनुसार है :–

(क) जहां किसी उम्मीदवार को नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए तीन वर्ष या अधिक के कारावास से दोषसिद्ध किया गया है या दण्डनीय किया गया है, नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा ;

(ख) जहां किसी उम्मीदवार के विरूद्ध नैतिक अधमता वाले अपराध (अपराधों) हेतु अभियोग लगाए गये हैं जो तीन वर्ष या अधिक कारावास के हैं, तो उनकी नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा ;

(ग) जहां, उम्मीदवार उपरोक्त उप–नियम (2) के अधीन यथा वर्णित अपराधिक मामले के पंजीकरण के संबंध में तथ्य प्रकट करता है और जब कभी स्थानीय पुलिस द्वारा उम्मीदवार के पूर्ववृत्त के सत्यापन के समय पर किसी मामले की स्थिति पाई जाती है या तो राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है या रद्द किया गया है या अनट्रेस रिपोर्ट भेजी गई है या किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए विमुक्त कर दिया गया है, तो ऐसे उम्मीदवार का हरियाणा पुलिस में नियुक्ति हेतु विचारण किया जाएगा ;

(घ) जहां किसी उम्मीदवार के विरूद्ध किसी मामले में " रद्दकरण रिपोर्ट" या 'अनट्रेस रिपोर्ट' विधि के सक्षम न्यायालय में अन्वेषण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो नियुक्ति केवल तभी यदि विचारण न्यायालय द्वारा ऐसे रद्दकरण या 'अनट्रेस रिपोर्ट' को मंजूर या स्वीकार कर लिया गया हैं, प्रदान की जाएगी ;

(ङ) जहां उम्मीदवार राज्य की प्रभुसत्ता या राष्ट्रीय अखंडता से सम्बन्धित अपराध में अर्थात् राष्ट्रीय अखंडता अर्थात राष्ट्रीय हित के विरूद्ध गुप्तचर कार्य/राज्य के विरूद्ध युद्ध का संचालन/आतंकवादी गतिविधि/साम्प्रदायिक शान्तिभंग/हथियार, गोला–बारूद या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ या नकली करेंसी इत्यादि की तस्करी करना, इसके अतिरिक्त जघन्य अपराध जैसे (नर) हत्या/बलात्कार/डकैती/लूटपाट/फिरौती हेतु अपहरण/ऐसिड हमला/मानव तस्करी, लैंगिक अपराध से शिशु का संरक्षण अधिनियम, 2012 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 इत्यादि तकनीकी आधारों पर अर्थात् जहां न्यायालय की राय में नायक/महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी/गवाह मार दिए गए हैं या मर चुके हैं या अननुमार्गणित हो गए हैं या विरोधी बन गए हैं या राजी हो गए हैं और उम्मीदवार उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के कारण विमुक्त हो गया है, ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(4) यदि यह कभी उद्घटित होता है कि उम्मीदवार द्वारा या तो तथ्यों के छिपाव द्वारा या असत्य या गलत सूचना प्रस्तुत करते हुए या नकली या जाली दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता, और वह नियुक्ति प्राप्त कर लेता है, उम्मीदवार नियमित अनुशासनिक कार्यवाही किये बिना सेवानियुक्ति की तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा से उन्मुक्त कर दिया जाएगा, संक्षेप में उसे सेवा के लिए अपात्र समझा जाएगा तथा उसे भुगतान किया गया वेतन वूसल किये जाने का भी आदेश किया जाएगा।"।

5. उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप 12.18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"हरियाणा पुलिस
(देखिए नियम 12.18)
सत्यापन एवं साक्ष्याकन
(भाग क)
(सूचना उम्मीदवार द्वारा दी जानी है)

उम्मीदवार की फोटो

1.	उम्मीदवार का पूरा नाम (उर्फ सहित, यदि कोई हो, बड़े अक्षरों में)
2.	क्या आपने अपने नाम या उपनाम का कोई भाग किसी भी स्तर पर जोड़ा या त्याग किया है (यदि ऐसा है, कृपया विवरण दर्शायें)
3.	(क) स्थाई निवास पता (पुलिस स्टेशन सहित डाक पता)
	(ख) वर्तमान डाक पता (पुलिस स्टेशन सहित)
	(ग) उम्मीदवार का मोबाईल फोन संख्या (जिस पर वह सूचना प्राप्त कर सके)
	(घ) उम्मीदवार का ईमेल आई.डी. (जिस पर वह सूचना प्राप्त कर सके)

(ड.) स्थानों जहॉ आप अंतिम पॉच वर्ष की अवधि में, एक वर्ष से अधिक समय तक निवास कर रहें हो :–

निवास पता (पुलिस स्टेशन सहित डाक पता)	से	तक
(i)		
(ii)		
(iii)		

4. (क) पिता का पूरा नाम (उर्फ सहित यदि कोई हों):

(ख) माता का पूरा नाम (उर्फ सहित यदि कोई हों):

(ग) स्थाई गृह पता :

5. राष्ट्रीयताः	(क) उम्मीदवार	(ख) पिता	(ग) माता	(घ) पति/पत्नी

6.	
(क) जन्म तिथि (मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार)	(ख) जन्म स्थान (गांव, कस्बा, जिला और राज्य)

7.	
(क) पहचान का निशान	(ख) आधार कार्ड संख्या

8.	
(क) धर्म	(ख) जाति
(ग) क्या आपने हरियाणा में किसी प्रर्वग के अधीन आरक्षण के किसी लाभ का दावा किया है (यदि हो, तो जाति या वर्ग कथित करें, जिससे आप संबंधित हैं कथित करें)	

9. रिहायशी प्रमाण पत्रः

10. शैक्षणिक योग्यताएं

विद्यालय/महाविद्यालय का नाम (जिला तथा राज्य सहित)	से	तक	पास की गई परीक्षा
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			

11. क्या आप अब से पहले कभी नियोजित रहे हैं, यदि ऐसा है, तो विवरण दीजिए,

धारित पद/पदनाम	से	तक	संगठन का नाम
(क)			
(ख)			
(ग)			
(घ)			

12. (क) क्या कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की अथवा कोई अपराधिक शिकायत की गई है ? (यदि हॉं, कृपया मामला प्रथम सूचना संख्या, दिनांक, विधि की धारा, पुलिस स्टेशन,जिला, राज्य तथा मामले/शिकायत की वर्तमान स्थिति उपलब्ध करवाएं)

(ख) क्या आप कभी गिरफतार किये गये हो ? (यदि हॉं, कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या, दिनांक, विधि की धारा,

	पुलिस स्टेशन, जिला, राज्य तथा मामले / शिकायत की वर्तमान स्थिति उपलब्ध करवाए)
	(ग) क्या आपके विरूद्व किसी विधि न्यायालय में किशोर न्याय (बाल की देखरेख और सरक्षंण) अधिनियम, 2000 को छोड़कर पंजीकृत ,किसी अपराधिक मामले में आपके विरूद्व आरोप फ्रेम किये गये हैं (यदि हॉं, कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या, दिनांक, विधि की धारा, पुलिस स्टेशन,जिला, राज्य तथा मामले / शिकायत की वर्तमान स्थिति उपलब्ध करवाएं)
	(घ) क्या आप कभी किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किये गये हो ? (यदि हॉं, तो कृपया अवधि तथा सजा के स्थान सहित न्यायालय का नाम, निर्णय आदेश, दिनांक देवें)
	(ड.) क्या आप कभी किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी अपराध में विमुक्त किये गये हो (यदि हॉं, तो कृपया न्यायालय का नाम, निर्णय आदेश दिनांक देवें)
13.	आपके क्षेत्र के दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या दो सन्दर्भ जिसको आप जानते हो (पूरे डाक पता और मोबाईल / लैण्डलाईन टेलीफोन नम्बर सहित) (i) (ii)
14.	क्या आप वर्णान्ध हो, अथवा सपाट पैरों वाले हैं अथवा घुमावदार घुटनों वाले हैं ? (हॉं / नहीं)
15.	वैवाहिक स्थिति (यदि विवाहित हो, कृपया कथित करें, क्या आप एक से अधिक विधिक जीवित पति / पत्नी रखते हो)

मैं, इसके द्वारा, प्रमाणित करता हूँ कि पूर्वगामी सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सही तथा पूर्ण हैं मुझे मालूम नही है कि कोई भी परिस्थिति जो सरकार के नियोजन हेतू मेरी उपयुक्तता को क्षति पहुँचा सकती हैं ।

टिप्पण —उपरोक्त सूचना में कोई छिपाव अथवा असत्य कथन अपराधिक / सिविल दायित्व में अतिरिक्त उम्मीदवारी में निरर्हता में परिणामित होगा । यदि किसी भी समय, ये पाया जाता है कि उम्मीदवार तथ्यों के छिपाव या झूठी या गलत सूचना प्रस्तुत करके नियुक्त हो जाता है, व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा से उन्मुक्त कर दिया जाएगा, संक्षेप में अर्थात नियमित अनुशासनिक कार्यवाही किये बिना सेवा के लिए अपात्र समझना तथा उसको दिये गये वेतन को वसूल किये जाने के आदेश देना ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
दिनांक:
स्थान:

(भाग–ख)
(कार्यालय के प्रयोग हेतु)
सत्यापन

प्रमाणित किया जाता हैं कि उम्मीदवार द्वारा (भाग 'क') में प्रस्तुत की गई सूचना उम्मीदवार, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.................................... द्वारा सत्यापित की गई हैं, के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि वह निम्न के आधार पर सही/गलत पाई गई हैः–

....

....

....

हस्ताक्षर

स्थानः

थाना प्रबन्धक का नाम तथा रैंक, जिला.........

(टिप्पण :– जो लागू नहीं होता है उसे काट दिया जाए)

पी. के महापात्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग, चंडीगढ़ ।